

उप विकास आयुक्त का कार्यालय, कोडरमा।

(कृषि प्रभाग)

आम सूचना

(पी0एम0-कुसुम Component-C योजनान्तर्गत सिंचाई कार्य हेतु ग्रिड आधारित पम्पसेट के सोलराईजेशन कार्य हेतु इच्छुक किसान का आवेदन भरा जा रहा है)

वित्तीय वर्ष - 2023-24 में पी0एम0-कुसुम Component-C योजनान्तर्गत पम्पसेट के सोलराईजेशन हेतु लागत राशि का 30 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार, 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है, जबकि 40 प्रतिशत राशि लाभुक किसानों द्वारा लाभुक अंशदान के रूप में किया जायेगा। लाभुक अपने पम्प की क्षमता के दोगुनी क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन करा सकते हैं।

पम्प की क्षमता के आधार पर निम्नवत् व्यय अनुमानित है:-

क्र0 सं0	उपलब्ध पम्प का प्रकार (क्षमता)	अधिकतम सोलर पावर प्लांट की क्षमता (एच.पी.में)	सोलर पावर प्लांट की क्षमता (कि0वा0 में)	ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट का दर (GST सहित)	ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट का कुल राशि (GST सहित)	राज्ययांश (30 %)	केन्द्रांश (30 %)	लाभुक अंशदान (40 %)
1	1HP	2 HP	1.50	85009.00	127513.50	38254.05	38254.05	51005.40
2	2 HP	4 HP	3.00	85009.00	255027.00	76508.10	76508.10	102010.80
3	3 HP	6 HP	4.50	85009.00	382540.00	114762.15	114762.15	153016.20
4	5HP	10 HP	7.50	85009.00	637567.50	191270.25	191270.25	255027.00
5	7.5 HP	15 HP	11.00	85009.00	935099.00	280529.70	280529.70	374039.60

- वर्तमान में इच्छुक किसान से किसी भी तरह का लाभुक अंशदान या शुल्क आवेदन के साथ नहीं लिया जाएगा।
- किसानों के अंतिम रूप से चयन होने के पश्चात् लाभुक अंशदान की राशि ली जाएगी।
- लाभुक अंशदान की राशि का बैंक ड्राफ्ट Director Jreda, Payable at Ranchi के उपनाम पर भगतेय हो।
- पी.एम. कुसुम Component-C के अन्तर्गत यदि किसान चाहे तो लाभुक अंशदान हेतु केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने में भी जेडा राँची द्वारा सहयोग किया जायेगा।
- ग्रिड आधारित पम्पसेट के सोलराईजेशन कार्य हेतु इच्छुक किसान आवेदन पत्र एवं अनुलग्नक-1, अनुलग्नक-2, आवेदक का घोषणा पत्र का प्रपत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित करके आवेदन में संलग्न कर एवं आधार कार्ड, आवसीय प्रमाण पत्र, भूमि रिकार्ड की छायाप्रति, अद्यतन जमा की गयी भूमि कर की छायाप्रति हाल ही में एक स्व-सत्यापित फोटो, आवेदन के साथ जिला कृषि कार्यालय कोडरमा में कार्यालय अवधि दिनांक 30.07.2023 के अपराह्न 4:00 बजे तक जमा करें।
- ग्रिड आधारित पम्पसेट के सोलराईजेशन कार्य हेतु इच्छुक किसान आवेदन प्रपत्र एवं दस्तावेजों में समिति द्वारा त्रुटि पाये जाने पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा, साथ ही 30.07.2023 के अपराह्न 4:00 बजे के बाद आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- विस्तृत जानकारी हेतु शर्त एवं आवेदन का प्रारूप कोडरमा जिला के NIC वेबसाइट पर koderma.nic.in एवं ATMA के वेबसाइट www.atma.koderma.Org.in पर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
- विज्ञापन अथवा प्रक्रिया को बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

जिला कृषि पदाधिकारी
कोडरमा

उप विकास आयुक्त

नोडल पदाधिकारी

पी0एम0 -कुसुम योजना, कोडरमा

जिला आवेदन संख्या.....(जिला विभाग द्वारा भरा जाएगा)



झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

Jharkhand Renewable Energy Development Agency
(JREDA)



Application Form for Solarization of Grid Connected Pumpset Under PM Kusum Comp- C
सोलर पम्पसेट के लिए आवेदन का विहित प्रपत्र

1. नाम

2. पिता/पति का नाम

3. स्थायी पता/पत्राचार का पता -ग्राम/मोहल्ला/सड़क/तालुका :

4. लिंग / Gender :- Male ☐ Female ☐ Others ☐

Self Attested Photo
of Beneficiary/
लाभार्थी द्वारा
स्वप्रमाणित फोटो

डाकघर पंचायत
प्रखण्ड थाना जिला पिनकोड

4. श्रेणी : अन्य पिछड़ा वर्ग / OBC ☐ समान्य / Gen ☐ अनुसूचित जाति / SC ☐ अनुसूचित जनजाति / ST ☐

5. आधार कार्ड संख्या:- (आधार कार्ड का छायाप्रापि संलग्न)

6. मोबाईल/फोन नं० : 7. ईमेल आईडी :

8. लाभार्थी खेती के लिए पम्प उपयोग करते हैं : हां ☐ नहीं ☐ यदि हां तो निचे पूर्ण विवरणी करें।

मौजूदा पम्प क्षमता :(एच.पी), मौजूदा पम्प का प्रकार सतह/surface ☐ सबमर्सिबल/Submersible पम्प ☐

बिजली का कनेक्शन है कि नहीं : हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो बिजली बिल इस पत्र के साथ संलग्न करें)।

9. उपभोक्ता संख्या / Electricity Bill Consumer Number

10. Discom :- Division Sub-Division
Substation Feeder

ऊर्जा दक्षता पम्प हां ☐ नहीं ☐

यदि नहीं तो बिजली चालित पम्प कितना पुराना है (वर्ष एवं माह) में दर्ज करें।

पूर्व से चालित पम्प स्टार रेटेड है कि नहीं : हां ☐ नहीं ☐

यदि नहीं तो किसान अपने व्यय पे स्टार रेटेड पम्प लगाना चाहते हैं ☐ नहीं ☐

पम्प किस ईंधन पर कार्यरत है : बिजली ☐ डीजल ☐ जनरेटर ☐

(*नोट : यदि लाभार्थी पम्प चलाने के लिए बिजली का उपयोग कर रहे हैं या जहाँ पर पम्प लगाया जाना है वहाँ बिजली की उपलब्धता है तो वे किसना पीएम कुसुम - सी योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। केवल बिजली चालित पम्प का उपयोग करने वाले किसान और जिन किसानों के पास बिजली से संचालित पम्प उपलब्ध है वे किसान इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं।)

9. सिंचाई के लिए पानी का स्रोत : कूप ☐ बोरवेल ☐ तलाब ☐ नहर ☐ नदी ☐ अन्य ☐

10. पानी का जलस्तर.....(केवल बोरवेल /कूप के लिए)

11. पम्प लगाने के स्थान का पूर्ण विवरणी ग्राम/मोहल्ला/सड़क/तालुका :

.....डाकघर.....पंचायत.....

प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....पिनकोड.....

12. लाभार्थी के भूमि का विवरण.....एकड़ एवं.....वर्ग मीटर में।

13. लागान रसीद की अंतिम भुगतान की तिथि : तारीख.....महीना.....वर्ष.....

14. आवश्यक सौर पम्प क्षमता (एच.पी): 2 एच.पी. ☐ 3 एच.पी. ☐ 5 एच.पी. ☐ AC पम्प ☐ DC पम्प ☐ Surface पम्प ☐

15. एकल किसान : हैं ☐ नहीं ☐ (अगर हैं तो Annex 1 भरे)/किसानों का समूह : हैं ☐ नहीं ☐ (अगर हैं तो Annex 1, 2 भरे)

16. प्रमुख फसल का विवरणी : रबी ☐ खरीफ ☐ जायद ☐ (किसान जिन फसल की खेती कर रहे हैं उस पर निशान लगाए)
अथवा अन्य कोई फसल.....

17. किसान वार्षिक आय रु

*नोट: कोई भी एकल किसान और किसान समूह योजना के तहत एक से अधिक बिजली चालित पम्प को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए हकदार नहीं होंगे।

18. आवेदन पत्र पर एक स्वहस्ताक्षरित फोटो (पासपोर्ट साईज) के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें

I. पहचान पत्र (आधार कार्ड)

II. आवासीय प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, बिजली बिल)

III. जमीन का अद्यतन लागान रसीद।

IV. कार्य प्रारंभ होने से पहले अधिष्ठापन स्थल पर निर्धारित व्यास /साईज का बोरिंग अच्छी स्थिति में उपलब्ध कराने की घोषणा आवेदन में या आवेदन के साथ अनुलग्नक-1 जमा करें।

V. एक किसान /किसान समूह को एक से अधिक सौर पम्प नहीं दिया जा सकता है।

VI. नोटरी से निर्गत घोषणा पत्र।

लाभुक किसान के बैंक विवरण

Account Holder Name: -

Bank Name: - IFSC Code: -

Account Number: -

Branch:-..... Account Type: -

Signature of Beneficiary / लाभुक का हस्ताक्षर या बायें अंगठे का निशान : -

लाभुक का नाम

:

तिथि

:

स्थान

:

जिला कार्यालय के उपयोग के हेतु

1.1. क्या लाभार्थी सीमांत किसान है : हाँ ☐ नहीं ☐ ('√' निशान लगाए)

नोट :- सीमांत किसान का अर्थ है 1 हेक्टेयर (2.5 एकड़) तक की कृषि भूमि (मालिक, किरायेदार या बटाईदार के रूप में) खेती करने वाला किसान।

1.2 क्या लाभार्थी में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की है : हाँ ☐ नहीं ☐ ('√' निशान लगाए)

(कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग द्वारा किसान को जारी स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन करें।)



Annexure-1 (व्यक्तिगत किसान हेतु)



घोषणा पत्र (Declaration Form)

मैं.....पिता.....ग्राम.....
पंचायत.....प्रखण्ड.....जिला.....झारखण्ड का

निवासी हूँ। शपथ पूर्वक एकरार करता हूँ, मेरा स्थायी, पत्राचार का पता एवं अन्य विवरणी निम्नवत् है:-

1. स्थायी पता :-

नाम :पिता/पति का नाम.....
ग्राम/मोहल्ला/सड़क :डाकघर.....पंचायत.....
प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....पिनकोड.....

2. पत्राचार का पता :-

नाम :पिता/पति का नाम.....
ग्राम/मोहल्ला/सड़क :डाकघर.....पंचायत.....
प्रखण्ड.....थाना.....जिला.....पिनकोड.....

3. यह कि ग्राम.....पंचायत.....प्रखण्ड.....के अन्तर्गत रैयती/खरीदगी
जमीन कुल रकबा.....(एकड़) खाता नम्बर.....खेसरा नम्बर.....जो मेरे
.....के नाम से दर्ज है, जिसका लगान का रसीद माह.....20.....तक जमा है। रसीद का छायाप्रति (हस्ताक्षरित) संलग्न है।

4. खतियानी जमीन के स्थिति में वंशावली का पूर्ण ब्योरा जिसमें आवेदक का स्थान तथा कुल रकबा के अंश का विवरण स्पष्ट वर्णित है। (वंशावली
विवरण संलग्न)

5. मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में केन्द्र तथा राज्य से प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिजली चालित पम्प को सौर ऊर्जा से
ऊर्जांचित करने का लाभ नहीं लिया गया है।

6. उपरोक्त में निहित जमीन का ब्योरा मेरे नाम पर है एवं कोई और उस जमीन के नाम पर सोलर वॉटर पम्प का लाभ नहीं लिया है।

7. उपरोक्त में निहित जमीन का ब्योरा मेरे.....के नाम पर है, और मेरे अलावा कोई और उसका अधिकारिक
दावा करके इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। (घोषणा पत्र जिसके नाम पर जमीन है संलग्न)

8. पूर्व में मेरे पास कोई वॉटर पम्प :- हाँ ☐ नहीं ☐ अगर हाँ तो उसका विवरण.....

9. पम्प लगाने के स्थान पर बिजली की उपलब्धता : हाँ ☐ नहीं ☐ (भरना अनिवार्य है)

10. यह कि मेरे अंश कि सिचाई हेतु उपलब्ध कुल रकबा एकड़ में फीट गहराई का.....

बोरवेल/कुँआ उपलब्ध है जिसमें गर्मी के सीजन में पानी का लेवल.....फीट की गहराई पर है।

11. सरकार द्वारा जेडा के माध्यम से अनुदानित दर पर प्राप्त सिंचाई हेतु सोलर प्लांट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरान्त सभी तरह की सुरक्षा की जावाबदेही मेरी होगी एवं इसका उपयोग सिंचाई कार्य हेतु करूँगा एवं सोलर पम्प का विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा।
12. निदेशक जेडा ("Director JREDA" Payable at "Ranchi") के नाम से लाभुक अंशदान की राशि रु.....
 का बैंक का नाम..... बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक.....
 समर्पित तिथि..... के साथ समर्पित कर रहा हूँ।
13. सोलर प्लांट की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
14. यदि लाभार्थी पम्प चलाने के लिए बिजली का उपयोग कर रहे हैं या जहाँ पर पम्प लगाया जाना है वहाँ बिजली की उपलब्धता है तो वे किसना पीएम कुसुम - सी योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। केवल बिजली चालित पम्प का उपयोग करने वाले किसान और जिन किसानों के पास बिजली से संचालित पम्प उपलब्ध है वे किसान इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं।)

Signature of Beneficiary /लाभुक का हस्ताक्षर या बायें अंगुठे का निशान :-

लाभुक का नाम :-

तिथि :-

स्थान :-

जिला स्तरीय कमीटी द्वारा अनुशंसा

आवेदक के आवेदन को जिला स्तरीय कमीटी द्वारा जाँचोपरान्त अनुमोदित किया जाता है।

अनुशंसा करने वाले नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

नाम :

पदनाम :

दूरभाष संख्या :

मुहर :



Annexure-2
(किसान समूह हेतु)



समूह के मुखिया का नाम

आवासीय पता/स्थायी पता

समूह के मुखिया का भूमि विवरण

नाम, पता एवं समूह के सदस्यों का भूमि विवरण :-

1. नाम : पता : समूह के सदस्यों के
भूमि का विवरण (एकड़/कट्ठा में)
2. नाम : पता : समूह के सदस्यों के
भूमि का विवरण (एकड़/कट्ठा में)
3. नाम : पता : समूह के सदस्यों के
भूमि का विवरण (एकड़/कट्ठा में)
4. नाम : पता : समूह के सदस्यों के
भूमि का विवरण (एकड़/कट्ठा में)

1. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :

2. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :

3. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :

4. समूह के सदस्य का हस्ताक्षर :

नोट : अगर किसान समूह में चार से ज्यादा किसान हैं, तो समूह के किसान अपनी जरूरी विवरणी Annexure-2 का एक और कॉपी भरके संलग्न करें।

समूह के प्रत्येक व्यक्तिगत किसानों द्वारा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. समूह के सभी किसानों का पहचान पत्र (आधार कार्ड)
2. समूह के सभी किसानों का आवासीय प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, बिजली बिल)
3. समूह के सभी किसानों का जमीन का अधतन लगान रसीद
4. समूह के सभी किसानों की एक स्व-सत्यापित हाल की फोटो।

शपथ-पत्र
(नोटरी से निर्गत)

मैं पिता ग्राम
पंचायत प्रखण्ड जिला झारखण्ड

का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक एकरार करता हूँ मेरा स्थायी एवं पत्राचार का पता एवं विवरणी निम्नवत् है:-

1. स्थायी पता :-

नाम : पिता/पति का नाम
ग्राम/मोहल्ला/सड़क : डाकघर पंचायत
प्रखण्ड थाना जिला पिनकोड

2. पत्राचार का पता :-

नाम : पिता/पति का नाम
ग्राम/मोहल्ला/सड़क : डाकघर पंचायत
प्रखण्ड थाना जिला पिनकोड

3. यह कि ग्राम पंचायत प्रखण्ड के अन्तर्गत
रैयती/खरीदगी जमीन कुल रकबा (एकड़) खाता नम्बर खेसरा नम्बर
जो मेरे के नाम से दर्ज है, जिसका लगान का रसीद माह 20 तक जमा है। रसीद का
छायाप्रति (हस्ताक्षरित) संलग्न है।

4. खतियानी जमीन के स्थिति में वंशावली का पूर्ण ब्यौरा जिसमें आवेदक का स्थान तथा कुल रकबा के अंश का विवरण स्पष्ट वर्णित
है। (वंशावली विवरण संलग्न)

5. मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में केन्द्र तथा राज्य से प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिजली चालित पम्प को सौर
ऊर्जा से ऊर्जाभित करने का लाभ नहीं लिया गया है।

6. उपरोक्त में निहित जमीन का ब्यौरा मेरे नाम पर है एवं कोई और उस जमीन के नाम पर सोलर वाटर पम्प का लाभ नहीं लिया है।

7. उपरोक्त में निहित जमीन का ब्यौरा मेरे के नाम पर है, और मेरे अलावा कोई और उसका अधिकारिक
दावा करके इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। (घोषणा पत्र जिसके नाम पर जमीन है संलग्न)

8. पूर्व में मेरे पास कोई वाटर पम्प :- हाँ ☐ नहीं ☐ अगर हाँ तो उसका विवरण

9. पम्प लगाने के स्थान पर बिजली की उपलब्धता : हाँ ☐ नहीं ☐ (भरना अनिवार्य है)

10. यह कि मेरे अंश कि सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल रकबा एकड़ में फीट गहराई का
बोरवेल/कुँआ उपलब्ध है जिसमें गर्मी के सीजन में पानी का लेवल फीट की गहराई पर है।

11. सरकार द्वारा जेडा के माध्यम से अनुदानित दर पर प्राप्त सिंचाई हेतु सोलर प्लांट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरान्त सभी तरह की सुरक्षा की जावाबदेही मेरी होगी एवं इसका उपयोग सिंचाई कार्य हेतु करूँगा एवं सोलर पम्प का विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा।
12. निदेशक जेडा ("Director JREDA" Payable at "Ranchi") के नाम से लाभुक अंशदान की राशि रु.
 का बैंक का नाम बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक
 समर्पित तिथि के साथ समर्पित कर रहा हूँ।
13. सोलर प्लांट की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
14. यदि लाभार्थी पम्प चलाने के लिए बिजली का उपयोग कर रहे है या जहाँ पर पम्प लगाया जाना है वहाँ बिजली की उपलब्धता है तो वे किसान पीएम कुसुम - सी योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। केवल बिजली चालित पम्प का उपयोग करने वाले किसान और जिन किसानों के पास बिजली से संचालित पम्प उपलब्ध है वे किसान इस योजना में आवेदन करने के पात्र है।

Signature of Beneficiary / लाभुक का हस्ताक्षर या बायें अंगुठे का निशान : --

लाभुक का नाम :-

तिथि :-

स्थान :-